चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-16.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 16.06.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2023 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त गुड्डू उर्फ दिनेश गुप्ता पुत्र स्व0 लखनलाल गुप्ता निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 31.08.2023 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गुड्डू उर्फ दिनेश गुप्ता स्व0 लखनलाल गुप्ता उपरोक्त को 01 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 96/2023 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय को सुपुर्द की गयी विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 16.10.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 16.06.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कवलेश कुमार पुत्र मतगंजन प्रसाद निवासी खरसेड़ा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4995/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 16.06.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2018 धारा 279,337,427 भादवि0 के अभियुक्त कुंजबिहारी यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी चकजाफर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 4036/2011 धारा 324,323,504 भादवि0 के अभियुक्त 1.बच्छराज पुत्र केशचन्द्र लोधी 2.जनार्दन लोधी पुत्र केशव लोधी 3.फूलचन्द्र पुत्र राजाराम लोधी निवासीगण कालूपुर पाही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 3000/-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 16.06.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त जुड़ावन उर्फ कामता पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 16.06.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 1012/2008 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.पप्पू उर्फ सत्यनारायण 2. चुन्नीलाल पुत्रगण स्व0 लखनलाल निवासीगण बरैठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 2000/-2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10) आज दिनाँक 16.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत कोतवाली कर्वी क्षेत्र के सोनेपुर रोड में पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(11). आज दिनांक 16.06.2025 पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परीक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन्स चित्रकूट का निरीक्षण किया गया। दिनांक 17.06.2025 से पुलिस लाइन चित्रकूट में जे0टी0सी0 में कुल 333 रिक्रूट आरक्षियों 21.07.2025 से आर0टी0सी0 में कुल 450 रिक्रूट आरक्षियो का प्रशिक्षण होना सुनिश्चत है जिसके दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परीक्षेत्र बांदा द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के क्लासरुम,मेस, बैरिक, बाथरुम आदि का निरीक्षण कर रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु की गयी तैयारियों का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, आरटीसी प्रभारी श्री प्रदीप कुमार यादव , पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।